

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 85/2023 GCMS NO 2023/85

प्रार्थी-	बनाम	अप्रार्थीगण-
1. श्री उदयसिंह पुत्र हउमन्तसिंह जाति राजपूत, निवासी भूंका थानसिंह (लोहिड़ी) ग्राम पंचायत मनावस, पंचायत समिति सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		1. श्री सरपंच ग्राम पंचायत मनावस, पंचायत समिति सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा 2. श्री वालाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट, निवासी मनावस, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

उपस्थिति :-


1. श्री नरपत पुनड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

### निर्णय

दिनांक : 28.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मनावस द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 63 दिनांक 07.12.2021 के विरुद्ध दिनांक 13.09.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत मनावस द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम मनावस में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 63 दिनांक 07.12.2021 को जारी किये गये। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय



  
जिला कलक्टर  
बालोतरा

ग्राम पंचायत मनावस से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी मूल रूप से भूका थानसिंह (लोहिड़ी) ग्राम पंचायत मनावस का निवासी है, जिनकी चल व अचल सम्पत्ति ग्राम भूका थानसिंह (लोहिड़ी) ग्राम पंचायत मनावस में स्थित है। प्रार्थी के रहवासी मकान मौजा भूका थानसिंह (लोहिड़ी) ग्राम पंचायत मनावस की आबादी भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 2.7344 हेक्टर में स्थित है, जिसमें ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कदिमी समय का पिढियो का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी अपने स्वामित्व व आधिपत्य के भूखण्ड पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज है व रहवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत मनावस सुराराम ने अपने हितबद्ध लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के आशय से पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर पूर्व से कब्जाधारी प्रार्थी के भूखण्ड का गलत पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 को बिना विधिक प्रकिया व पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.12.2021 को एक साथ कुल 14 पट्टे सरपंच द्वारा अपने रिश्तेदारों व अपने हितबद्ध लोगों को पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विपरित जारी किये गये है। उक्त तमाम 14 पट्टों की कार्यवाही सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक ही दिन में पूरी की गई है जो संशयप्रद प्रतीत होती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी करवाया है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है वो पट्टा राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, जबकि नियम 157 (1) के तहत वर्ष 1996 तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में निर्मित मकानों के पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 को जो पट्टा जारी किया गया है उसमें पट्टा में वर्णित ईबारत के अनुरूप भी कहीं भी अप्रार्थी संख्या 2 का कोई वर्ष 1996 का मकान नहीं दर्शाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई वर्ष 1996 या इससे पूर्व का कोई आधिपत्य व मकान निर्मित होना प्रमाणित नहीं होता है। उक्त आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा रातो रात बैंक डेट में जारी किये गए है एवं पत्रावली के साथ संलग्न शपथ पत्र भी पट्टा जारी दिनांक के बाद का लगाया गया है। पट्टाधारक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जो आवेदन पत्र है लगा हुआ है, उसमें पट्टाधारक का हस्ताक्षर भी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा



जिला कलेक्टर  
बालोतरा

पट्टा पत्रावली में न तो मौका रिपोर्ट व नोटिस आपतियां आमंत्रित किए गए हैं और न ही तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठन की गई है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रस्तावित पट्टे की भूमि पर किसी व्यक्ति का आधिपत्य है, मौके पर क्या निर्माण किया हुआ है व प्रस्तावित पट्टा आवेदक को कितने वर्षों से उक्त भूमि पर आधिपत्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सरपंच ने जो उक्त पट्टे बाबत कार्यवाही की है जो एक ही दिन में सम्पूर्ण कर गलत व नियम विरुद्ध पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया। साथ ही सम्पूर्ण पत्रावली कम्प्यूटरकृत फॉर्मेट में खानापुर्ति की गई है। यदि नियमानुसार कोई पट्टे की पत्रावली विधिवत कायम की गई होती तो उसमें पट्टा प्राप्त हेतु प्रस्तुत आवेदन की तिथि व आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् पट्टा जारी करने के बाबत ग्राम पंचायत की आम सभा में लिये नये प्रस्ताव की तिथि अंकित होती, वार्ड पंचों के हस्ताक्षर होते एवं समस्त ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाहियों की तिथियां अंकित होती, लेकिन उक्त पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी समय पट्टे हेतु आवेदन लिया गया, किस समय पट्टा जारी करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया एवम् किस समय आपत्ति की उद्घोषणा ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई, की सब कार्यवाही गलत तरीके से की गई है। इस प्रकार उक्त आलोच्य पट्टे जो ग्राम पंचायत मनावस द्वारा जारी किये गये, निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 63 दिनांक 07.12.2021 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता दौराने बहस एवं लिखित बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जासुदा भूखण्ड आबादी क्षेत्र में आया हुआ था, इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने कब्जासुदा परिसर का पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया, जो ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली के साथ संलग्न है। नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आवेदन प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया शुरू कर पत्रावली कायम की तथा मौका निरीक्षण की कार्यवाही शुरू की। उक्त पट्टा पत्रावली में किसी व्यक्ति को उज एतराज हो तो, इस संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की, ऐसी आपत्तियां का प्रकाशन करवाया गया एवं प्रस्तावित पट्टा स्थल पर चरपा भी की गयी। उक्त आपत्तियां प्रकाशित करवाने एवं आमंत्रित करने के दरम्यान किसी प्रकार के कोई उज एतराज प्रस्तुत नहीं होने पर नियमानुसार मौका निरीक्षण किया जाकर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित किया एवं बाद प्रस्ताव पारित अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा जारी किया गया। मौके पर नियमित कब्जा शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 2 का



जिला कलक्टर  
बालोतगा

रहा व है। प्रार्थी अपने स्वयं का उक्त भूखण्ड पर कब्जा रहने का कथन कर रहा है, इस संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व पुष्टि संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किये गये पट्टों का पंजीकरण भी नियमानुसार उसी वक्त करवाया गया, चूंकि मौके पर नियमित रूप से कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का था एवं कच्चे पक्के ठाव भी बने हुए थे एवं भूखण्ड की सीमाओं पर तारबंदी इत्यादी की हुई थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किये गये पट्टे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। यदि ऐसी परिस्थिति होती या प्रार्थी के कोई विधिक हक सिविल अधिकार होते तो उसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में अधिकारों की घोषणा के संबंध में कानूनी चाराजोही की जानी थी। वर्तमान प्रकरण में जारी पट्टों की प्रक्रिया में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हुई है। निगराकार का मौके पर जैसा निगरानी में उल्लेख किया है, वैसा कोई कब्जा होता तो अवश्य ही उसके संबंध में साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज प्रस्तुत करते, जबकि वर्तमान निगरानी याचिका के साथ ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एतराज करने मात्र से कोई भी पट्टा जो एक सक्षम निकाय द्वारा जारी किया गया है, को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि सरपंच ग्राम पंचायत मनावस के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में अपने रिश्तेदार होने के नाते पट्टे जारी किये गये हो, बल्कि कोई रिश्तेदारी अप्रार्थी संख्या 2 की सरपंच ग्राम पंचायत मनावस के साथ नहीं है। वर्तमान पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 02 के नाम आलोच्य पट्टा दिनांक 07.12.2021 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

6. हमने पत्रावली में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत मनावस द्वारा पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 02/05.12.2021 के अनुपालना में आलोच्य पट्टा संख्या 63 दिनांक 07.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मनावस की ओर से जारी आलोच्य पट्टा के विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपत्ति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 63 जारी किया गया है। इस



जिला कलक्टर  
जालोतरा

संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत मनावास से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन कब दिया, का कोई अंकन नहीं पाया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से तलब किया गया आलोच्य पट्टा से संबंधित मूल अभिलेख की पत्रावली में दिनांक 20.10.2021 को पट्टा प्राप्त आवेदन की दर्ज हेतु आदेशिका जारी हुई, लेकिन मूल पट्टे पर दायर दिनांक के स्थान पर पट्टा जारी दिनांक अंकित होना पाया गया व आलोच्य मूल पट्टा में मिसल संख्या अंकित नहीं होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायतीराज नियम 157(2) के तहत आदेशिका जारी करते हुए आलोच्य पट्टा जारी होना पाया गया है, जबकि मूल आलोच्य पट्टा का प्रारूप नियम 157(1) अंकित होना पाया गया। साथ ही पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमंत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्था करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस कहीं पर चस्था किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 "निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्रा के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी", की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें शपथपत्र पट्टा जारी होने के बाद पेश किया गया होना पाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत की पत्रावली में बयान फार्म नहीं होना पाया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटरकृत प्रारूप तैयार करना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। अलावा इसके पंचायती राज विभाग आदेश दिनांक 05.01.2026 में ग्राम पंचायत मनावास, पंचायत समिति सिणधरी, जिला बालोतरा द्वारा मौजा मनावास की आबादी भूमि में 14 पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियमों के विरुद्ध जारी होना बताया गया है। हस्तगत प्रकरण में उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 63 दिनांक 07.12.2021 जारी करने में पंचायतीराज नियमों की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने से एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्टि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत मनावास अप्रार्थी संख्या 1 ने



जिला कलेक्टर  
बालोतरा

राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 63 दिनांक 07.12.2021 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत मनावस द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 63 दिनांक 07.12.2021 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाते है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।



निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)  
जिला कलक्टर, बालोतरा  
बालोतरा